The Integrated Goods and Services Tax Act, 2017

[1](No. 13 of 2017)

An Act to make a provision for levy and collection of tax on inter-State supply of goods or services or both by the Central Government and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-eighth year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER - I

PRELIMINARY

Section 1 : Short title, extent and commencement.

(1) This Act may be called the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of India [2][****].

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

---

1 Received the Assent of President of India on 12-04-2017 and published in Gazette of India on 12-04-2017. Enforced w.e.f. 22-06-2017.

2 The words "except the State of Jammu and Kashmir." omitted by the IGST (Extension to Jammu and Kashmir) Act, 2017 (No. 27 of 2017 w.e.f. 08-07-2017.

[एकीकृत माल और सेवा कर विधि]

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

[1](2017 का संख्यांक 13)

केन्द्रीय सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्यिक पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबन्ध करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

अध्याय 1
प्रारंभिक

धारा 1 : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका विस्तार [2][.....] संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति ऐसे किसी उपबन्ध में किसी निर्देश का अर्थ उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा।

---

1 भारत के राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 12.04.2017 को प्राप्त हुई एवं भारत के राजपत्र में दिनांक 12.04.2017 को प्रकाशित हुआ। (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)

2 एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू–कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 द्वारा शब्द ''जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय'' विलोपित (प्रभावशील दिनांक 08.07.2017)।